



प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2026

विषय:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए मृतक की आयु के प्रमाण के रूप में अनुमन्य अभिलेख।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने विषयक शासनादेश सं0-1360/26-2-2024क0नं0-1729773, दिनांक 25.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत मृतक की आयु के प्रमाण के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक आर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, को अनुमन्य किया गया है। यह पाया गया है कि सामान्यतः शहरी क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं होता है जिससे शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन करने में कठिनाई होती है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कठिनाई को दूर करने के आशय से यह निर्णय लिया गया है कि वार्ड/नगरीय क्षेत्रों में जिनके पास हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं व उक्त नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत उनकी आयु सत्यापित करने हेतु शासनादेश सं0-1360/26-2-2024क0नं0-1729773, दिनांक 25.10.2024 में निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख भी मान्य होंगे:-

1. राशन कार्ड
2. मतदाता पहचान पत्र
3. ड्राइविंग लाइसेन्स
4. पासपोर्ट
5. पैनकार्ड

4- उक्त सुविधा के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर स्व-घोषणा करना अनिवार्य होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है व क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है।

5- यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए मान्य होगी।

उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.10.2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग यादव
प्रमुख सचिव।

संख्या-1177(1)/26-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र०, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव
विशेष सचिव।

आयु के प्रमाण हेतु स्व-घोषणा पत्र (केवल नगरीय क्षेत्र हेतु)

नाम (.....) यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा शैक्षणिक स्तर हाई स्कूल से निम्न रहा है और जीवन में मुझे कभी हाई स्कूल की परीक्षा का अभिलेख किसी बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिससे मेरी आयु की प्रमाणिकता की पुष्टि हो।

2- मेरा निवास स्थान नगरीय क्षेत्र है। इसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अतः अपनी आयु के समर्थन में निम्न अभिलेख प्रमाणक के रूप में संलग्न कर रहा हूँ।

- | | |
|------------------------|-------|
| (1) राशन कार्ड | |
| (2) मतदाता पहचान पत्र | |
| (3) ड्राइविंग लाइसेन्स | |
| (4) पासपोर्ट | |
| (5) पैन कार्ड | |

आवेदक का नाम-

पिता का नाम-

मकान नम्बर एवं पिन कोड सहित पूर्ण

आवासीय पता-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।